

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
293/16	06.12.2016	20.09.2018

अनुवान

1. सत्यपाल पुत्र उमराव जाति अहीर निवासी मंडा तहसील मुण्डावर एवं सचिव यू बी एम मैमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मंडा
  2. रामकिशन
  3. सत्यवीर पुत्रान उमराव जातियान अहीर निवासीयान मंडा तहसील मुण्डावर, अलवर
- :-वादीगण

बनाम

1. महासिंह पुत्र बंसता जाति अहीर निवासी मंडा तहसील मुण्डावर, अलवर
2. राजस्थान सरकार जर्जे लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, अलवर
3. श्रीमान उप पंजीयक महोदय मुण्डावर, अलवर

:- प्रतिवादीगण


दावा- तकासमा मय हु0ई0दवामी

--:पर्चा डिक्री::--

दिनांक:- 20.09.2018

वादीगण की ओर से श्री हंसराज यादव वकील की उपस्थिति तथा प्रतिवादी की ओर से श्री बस्तीराम यादव वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.09.2018 को साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—


वादीगण सं01 लगा0 3 को आराजी हाल ख0न0 1003/1.25, 966/0.44, 895/0.73, 860/1/0.81 तरफ दक्षिण, 732/1/0.81 तरफ उत्तर, 648/1/ 0.53 तरफ उत्तर, 631/0.05, 494/0.56, 497/0.66, 463/0.40, 471/0.03, 447/0.53, 735/0.13, 129/1029/0.10, 296/0.48, 294/1/0.44, तरफ उत्तर, 240/1/0.27 तरफ उत्तर,

  
उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राजस्व

519/0.09 में से प्रतिवादी महासिंह का 1/2 हिस्सा की स्थिति में 519/0.05, 359/0.38 में से वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 के नाम कुल 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड दर्ज होने की स्थिति में 359/0.19 एवं 297/0.01 है० व 298/0.03 का वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 का कुल 1/2 हिस्सा होने की स्थिति में ख०नं० 297/0.01, 298/0.03 है० का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम मंडा तह० मुण्डावर के बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं आराजी ख०नं० 860/2/0.06 तरफ उत्तर, 732/2/0.80 तरफ दक्षिण, 648/2/0.58 तरफ दक्षिण, 940/0.58, 937/0.47, 925/0.75, 859/0.76, 817/0.54, 786/0.19, 796/0.32, 492/0.54, 499/0.59, 452/0.03, 453/0.01, 454/0.44, 733/0.13, 734/0.13, 301/0.54, 507/0.10, 240/2/0.20 तरफ दक्षिण, 294/2/0.61 तरफ दक्षिण वाके ग्राम मंडा तह० मुण्डावर के बाबत प्रतिवादी महासिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही पृथक-2 से खातेदाजात कायम किये जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 20.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(साधुराम जाट) 20/9/18  
उपखण्ड अधिकारी एवं अधिकारी  
पदेन सहायक कलेक्टर (अलवर) राज०  
मुण्डावर (अलवर)